न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. केशरी पत्नि किशोर जाति बैरवा निवासी रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री यशवन्त मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. नरेश कुमार पुत्र बनाराम जाति बैरवा निवासी निहालपुरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।
3. मोहनलाल पुत्र नानकचन्द जाति बैरवा निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी ब्रजमोहन बनाम नरेश कुमार वगैरा मुकदमा संख्या 69/2023 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 49/2023 बसवा जिला दौसा में विचाराधीन को निष्पक्ष सुनवाई हेतु दीगर न्यायालय में अन्तरित करने के क्रम में।

उपस्थिति : श्री शिवचरण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीया बहस के दौरान अनुपस्थित।
: श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 18.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष प्रार्थीया व अन्य के द्वारा एक दावा उनवानी ब्रजमोहन बनाम नरेश कुमार वगैरा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र के प्रतिवादीगण राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्हें कई बार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 धमकी दे रहे है कि हमने पीठासीन अधिकारी के साथ सांठ गांठ कर ली है एवं उक्त प्रकरण का अविधिक आदेश हमारे पक्ष में करवाकर रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रार्थीया बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकितानुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थीगण ने सांठ गांठ कर ली है एवं अप्रार्थीगण गांव में ऐलानिया धमकी दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी से मिलकर उक्त प्रकरण का अविधिक आदेश हमारे पक्ष में करवाकर रहेंगे। अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर राजनैतिक दबाव डालकर उनसे अनुचित लाभ प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण ब्रजमोहन बनाम नरेश में यदि कोई अविधिक निर्णय या आदेश पारित कर दिया जाता है तो प्रार्थीया न्याय से वंचित हो जायेगी। अतः उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी ब्रजमोहन बनाम नरेश को निष्पक्ष सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीया के एडवोकेट शिवचरण शर्मा द्वारा पूर्व में भी श्री तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी सिकराय के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 59/2023 उनवानी विनोद कुमार बनाम नरेश कुमार आदि प्रस्तुत किया था जो कि दिनांक 23.01.2024 को न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। वादी पक्ष द्वारा अलग–अलग प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत कर न्यायालय का समय खराब किया जा रहा है एवं प्रकरण को लम्बित किया जा रहा है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है। ऐसे में अप्रार्थीगण के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो गया है। प्रार्थीगण बार–बार प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत कर प्रकरण को लम्बित करने का प्रयास कर रहे है। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा पत्रावली अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये है तथा अधिवक्ता प्रार्थीया अथवा प्रार्थीया में से कोई भी बहस के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पूर्व में भी उक्त प्रकरण को स्थानान्तरित करने हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को येन–केन प्रकारेण लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा